



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-12122020-223669
CG-DL-E-12122020-223669

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 548]

नई दिल्ली, शुक्रवार, दिसम्बर 11, 2020/अग्रहायण 20, 1942

No. 548]

NEW DELHI, FRIDAY, DECEMBER 11, 2020/AGRAHAYANA 20, 1942

भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 दिसम्बर, 2020

सं. 1-सीए(7)/197/2020.—चार्टर्ड अकाउंटेंट्स विनियम, 1988 का आगे और संशोधन करने के लिए कतिपय विनियमों का निम्नलिखित प्रारूप, जिसे भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान की परिषद् चार्टर्ड अकाउंटेंट्स अधिनियम, 1949 (1949 का 38) की धारा 30 की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार बनाने का प्रस्ताव करती है, ऐसे सभी व्यक्तियों की, जिनकी उनसे प्रभावित होने की संभावना है, जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है ; और यह सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप विनियमों पर, उस तारीख से, जिसको भारत के ऐसे राजपत्र की प्रतियां, जिसमें इन प्रारूप विनियमों को प्रकाशित किया जाता है, जनता को उपलब्ध करा दी जाती हैं, पैंतालिस दिन की अवधि के अवसान के पश्चात् विचार किया जाएगा ;

उक्त प्रारूप विनियमों के संबंध में आक्षेप या सुझाव प्रस्तुत करने का इच्छुक कोई व्यक्ति, उसे भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान की परिषद् को, कार्यकारी सचिव, भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान, आईसीएआई भवन, इंद्रप्रस्थ मार्ग, नई दिल्ली- 110002 को संबोधित करते हुए इस प्रकार विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर अग्रेषित कर सकेगा ;

किसी व्यक्ति से इस प्रकार विनिर्दिष्ट अवधि के अवसान से पूर्व उक्त प्रारूप विनियमों के संबंध में प्राप्त किसी आक्षेप या सुझाव पर परिषद् द्वारा विचार किया जाएगा ।

प्रारूप विनियम

- (1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम चार्टर्ड अकाउंटेंट्स (संशोधन) विनियम, 2020 है ।
- (2) ये राजपत्र में उनके अंतिम प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. चार्टर्ड अकाउंटेंट्स विनियम, 1988 में,—

(1) चार्टर्ड अकाउंटेंट्स विनियम, 1988 की अनुसूची “क” में, प्ररूप सं. 18 के स्थान पर निम्नलिखित प्ररूप रखा जाएगा, अर्थात् :—

“प्ररूप 18”

(चार्टर्ड अकाउंटेंट्स अधिनियम, 1949 की धारा 2(2) और चार्टर्ड अकाउंटेंट्स विनियम, 1988 का विनियम 53ख और विनियम 190 देखें)

कार्यालय और फर्म के ब्यौरे

1. फर्म का नाम / व्यवसायरत चार्टर्ड अकाउंटेंट का व्यापार नाम
2. फर्म का पेन संख्या और जीएसटी रजिस्ट्रीकरण संख्या¹*
3. फर्म के स्वामी/भागीदारों का (के) नाम, उसकी/उनकी सदस्यता संख्या सहित

व्यवसाय प्रमाणपत्र धारण करने वाले भागीदारों के ब्यौरे – (सीए/सीएस/ आईसीडब्ल्यूए)

क्रम सं.	भागीदार का नाम	वृत्तिक अर्हताएं	सदस्यता संख्या :	क्या सदस्यता सक्रिय है (हां/नहीं)	वह तारीख, जिससे व्यवसाय प्रमाणपत्र धारण किया जा रहा है

सीए/सीएस/ आईसीडब्ल्यूए से भिन्न वृत्तिक अर्हताएं धारण करने वाले ऐसे भागीदारों के ब्यौरे, जिन्हें विनियम 53ख के अनुसार अनुमति प्रदान की गई है

क्रम सं.	भागीदार का नाम	वृत्तिक अर्हताएं ¹	डिग्री संख्या	उस विश्वविद्यालय/ संस्था का नाम, जिसने डिग्री जारी की है

4. (क) स्वामित्व वाली/ भागीदारी फर्म के सृजन की तारीख
(ख) वह तारीख, जिसको वर्तमान भागीदारी आरंभ की गई थी
(ग) क्या भागीदारी किसी विलेख द्वारा समर्थित है ?
(घ) क्या सभी भागीदार फर्म के अभिलाभों का अंशभाजन कर रहे हैं ?
5. परिषद् से अभिप्राप्त व्यापार/फर्म के अनुमोदन से संबंधित संदर्भ संख्या, तारीख और विशिष्टियां (केवल ऐसे मामलों में लागू, जहां फर्म को 1.1.1983 को या उसके पश्चात् आरंभ किया गया था)
6. फर्म/व्यवसायरत चार्टर्ड अकाउंटेंट के प्रधान कार्यालय का पता
7. (क) फर्म/व्यवसायरत चार्टर्ड अकाउंटेंट के शाखा कार्यालय (कार्यालयों) का पता (के पते), यदि कोई हों
(ख) शाखा कार्यालय खोले जाने की तारीख

¹* आवेदन करते समय फर्म का पेन संख्या और जीएसटी रजिस्ट्रीकरण संख्या उपलब्ध न होने की दशा में उसे आवेदन करने के समय के तीन मास के भीतर प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

¹ ऐसे भागीदारों, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं हैं, की वृत्तिक अर्हताओं को किसी ऐसे स्वतंत्र व्यवसायरत चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा सम्यक् रूप से अधिप्रमाणित किया जाना चाहिए, जो उक्त फर्म का भागीदार/ उक्त व्यक्ति का कोई नातेदार नहीं है।

8. कार्यालयों, अर्थात् प्रधान कार्यालय और शाखा कार्यालयों में से प्रत्येक के प्रभारी सदस्य का नाम, उसकी सदस्यता संख्या सहित

प्रधान कार्यालय	प्रभारी सदस्य का नाम	सदस्यता संख्या

शाखा कार्यालय	प्रभारी सदस्य (सदस्यों) का नाम (के नाम)	सदस्यता संख्या

9. क्या ऊपर क्रम संख्या 3 में कथित स्वामी/ कोई भागीदार भारत में कहीं भी व्यवसायगत चार्टर्ड अकाउंटेंटों की किसी अन्य फर्म (किन्हीं फर्मों) में भागीदार या स्वामी या वेतन प्राप्त करने वाले सहायक हैं और क्या उनमें से कोई कहीं अन्यत्र पूर्णकालिक या अंशकालिक व्यवसाय में नियोजित है ? हां नहीं

10. यदि हां, तो प्रत्येक मामले में ब्यौरे प्रदान करें

भागीदार/स्वामी/ वेतनभोगी सहायक का नाम	ऐसी चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म (फर्मों) का नाम (के नाम) जिससे वह संबद्ध है	सहबद्ध होने की हैसियत	कहीं अन्यत्र पूर्णकालिक या अंशकालिक व्यवसाय की विशिष्टियां

11. किसी फर्म की दशा में क्या कोई भागीदार अपने व्यक्ति नाम से भी व्यवसाय हां नहीं कर रहा है ?

12. यदि हां, तो सदस्य (सदस्यों) का नाम (के नाम) और सदस्यता संख्या

13. किसी फर्म/किसी व्यवसायगत चार्टर्ड अकाउंटेंट के अधीन पूर्णकालिक नियोजन धारण करने वाले संस्थान के सदस्य (सदस्यों) का नाम (के नाम) और सदस्यता संख्या तथा ऐसे प्रत्येक सदस्य द्वारा नियोजन धारण करने की तारीख

14. क्या ऊपर क्रम सं. 13 में कथित कोई वेतनभोगी सहायक भारत में कहीं किसी अन्य फर्म (किन्हीं फर्मों) का भागीदार या स्वामी या उसमें वेतनभोगी सहायक है या किसी व्यवसायगत चार्टर्ड अकाउंटेंट का भागीदार या वेतनभोगी सहायक है ? हां नहीं

15. यदि हां, तो ब्यौरे प्रदान करें :-

वेतनभोगी सहायक का नाम	ऐसी फर्म (फर्मों) का नाम (के नाम) और अवस्थान, जिसमें भागीदार/स्वामी/ वेतनभोगी सहायक के रूप में नियोजित है	फर्म से किस हैसियत में सहबद्ध है, अर्थात् भागीदार/ स्वामी / वेतनभोगी सहायक के रूप में

16. क्या ऊपर क्रम सं. 13 में कथित कोई वेतनभोगी सहायक व्यवसाय भी कर रहा है ?

17. यदि हां, तो ऐसे वेतनभोगी सहायक (सहायकों) का नाम (के नाम) और सदस्यता संख्या प्रस्तुत करें

घोषणा

मैं/हम एतद्वारा यह पुष्टि करते हैं कि इस प्ररूप में दी गई जानकारी सत्य और सही है।

स्थान:

तारीख:

फर्म के स्वामी/ भागीदार
(सभी भागीदारों) के
हस्ताक्षर, उनकी सदस्यता
संख्या सहित।।

राकेश सहगल, कार्यकारी सचिव

[विज्ञापन-III/4/असा./407/2020]

टिप्पण : मूल विनियम भारत के राजपत्र, असाधारण, तारीख 1 जून, 1988 में अधिसूचना सं. 1-सीए(7)/134/88, तारीख 1 जून, 1988 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात् निम्नलिखित संख्याओं द्वारा संशोधित किए गए थे :--

- (i) भारत के राजपत्र, तारीख 7 अक्टूबर, 1989 में अधिसूचना सं. 1-सीए(7)/1/89 द्वारा प्रकाशित
- (ii) भारत के राजपत्र, तारीख 19 जनवरी, 1991 में अधिसूचना सं. 1-सीए(7)/10/90 द्वारा प्रकाशित
- (iii) भारत के राजपत्र, तारीख 19 जनवरी, 1991 में अधिसूचना सं. 1-सीए(7)/11/90 द्वारा प्रकाशित
- (iv) भारत के राजपत्र, तारीख 23 फरवरी, 1991 में अधिसूचना सं. 1-सीए(7)/12/91 द्वारा प्रकाशित
- (v) भारत के राजपत्र, तारीख 2 फरवरी, 1991 में अधिसूचना सं. 1-सीए(7)/13/90 द्वारा प्रकाशित
- (vi) भारत के राजपत्र, तारीख 7 मार्च, 1992 में अधिसूचना सं. 1-सीए(7)/19/92 द्वारा प्रकाशित
- (vii) भारत के राजपत्र, तारीख 1 सितंबर, 1995 में अधिसूचना सं. 1-सीए(7)/28/95 द्वारा प्रकाशित
- (viii) भारत के राजपत्र, असाधारण, तारीख 13 मार्च, 1996 में अधिसूचना सं. 1-सीए(7)/30/95 द्वारा प्रकाशित
- (ix) भारत के राजपत्र, तारीख 16 अगस्त, 1997 में अधिसूचना सं. 1-सीए(7)/31/97 द्वारा प्रकाशित
- (x) भारत के राजपत्र, तारीख 26 फरवरी, 2000 में अधिसूचना सं. 1-सीए(7)/44/99 द्वारा प्रकाशित
- (xi) भारत के राजपत्र, तारीख 26 फरवरी, 2000 में अधिसूचना सं. 1-सीए(7)/45/99 द्वारा प्रकाशित
- (xii) भारत के राजपत्र, असाधारण, तारीख 17 अगस्त, 2001 में अधिसूचना सं. 1-सीए(7)/51/2000 द्वारा प्रकाशित
- (xiii) भारत के राजपत्र, असाधारण, तारीख 28 सितंबर, 2001 में अधिसूचना सं. 1-सीए(7)/59/2001 द्वारा प्रकाशित
- (xiv) भारत के राजपत्र, असाधारण, तारीख 31 मार्च, 2003 में अधिसूचना सं. 1-सीए(7)/64/2002 द्वारा प्रकाशित
- (xv) भारत के राजपत्र, असाधारण, तारीख 4 दिसंबर, 2003 में अधिसूचना सं. 1-सीए(7)/64/2003 द्वारा प्रकाशित
- (xvi) भारत के राजपत्र, असाधारण, तारीख 28 जुलाई, 2005 में अधिसूचना सं. 1-सीए(7)/83/2005 द्वारा प्रकाशित
- (xvii) भारत के राजपत्र, तारीख 17 जून, 2006 में अधिसूचना सं. 1-सीए(7)/84/2005 द्वारा प्रकाशित
- (xviii) भारत के राजपत्र, तारीख 13 सितंबर, 2006 में अधिसूचना सं. 1-सीए(7)/92/2006 द्वारा प्रकाशित
- (xix) भारत के राजपत्र, तारीख 17 अगस्त, 2007 में अधिसूचना सं. 1-सीए(7)/102/2007(अ) द्वारा प्रकाशित
- (xx) भारत के राजपत्र, तारीख 25 सितंबर, 2008 में अधिसूचना सं. 1-सीए(7)/116/2008 द्वारा प्रकाशित
- (xxi) भारत के राजपत्र, तारीख 3 दिसंबर, 2008 में अधिसूचना सं. 1-सीए(7)/123/2008 द्वारा प्रकाशित

- (xxii) भारत के राजपत्र, असाधारण, तारीख 1 अगस्त, 2012 में अधिसूचना सं. 1-सीए(7)/145/2012 द्वारा प्रकाशित
- (xxiii) भारत के राजपत्र, असाधारण, तारीख 22 जुलाई, 2014 में अधिसूचना सं. 1-सीए(7)/154/2014 द्वारा प्रकाशित
- (xxiv) भारत के राजपत्र, असाधारण, तारीख 23 जनवरी, 2015 में अधिसूचना सं. 1-सीए(7)/167/2014 द्वारा प्रकाशित
- (xxv) भारत के राजपत्र, असाधारण, तारीख 25 मई, 2017 में अधिसूचना सं. 1-सीए(7)/178/2016 द्वारा प्रकाशित
- (xxvi) भारत के राजपत्र, असाधारण, तारीख 19 अक्टूबर, 2020 में अधिसूचना सं. 1-सीए(7)/193/2020 द्वारा प्रकाशित।

THE INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS OF INDIA

NOTIFICATION

New Delhi, the 10th December, 2020

No. 1-CA(7)/197/2020.—The following draft of certain regulations further to amend the Chartered Accountants Regulations, 1988, which the Council of the Institute of Chartered Accountants of India proposes to make, is hereby published, as required by sub-section (3) of Section 30 of the Chartered Accountants Act, 1949 (38 of 1949) for the information of all persons likely to be affected thereby; and notice is hereby given that the said draft regulations will be taken into consideration on or after the expiry of a period of forty-five days from the date on which the copies of the Gazette of India in which these draft regulations are published, are made available to the public;

Any person desiring to make any objection or suggestion in respect of the said draft regulations, may forward the same to the Council of the Institute of Chartered Accountants of India within the period so specified, addressed to the Acting Secretary, The Institute of Chartered Accountants of India, ICAI Bhawan, Indraprastha Marg, New Delhi- 110 002;

Any objection or suggestion which may be received from any person with respect to the said draft regulations before the expiry of the period so specified will be taken into consideration by the Council.

Draft Regulations

1. (1) These regulations may be called the Chartered Accountants (Amendment) Regulations, 2020.
- (2) They shall come into force on the date of their final publication in the Official Gazette.
2. In the Chartered Accountants Regulations, 1988,-
 - (1) In Schedule “A” to the Chartered Accountants Regulations, 1988, the following Form 18 shall be substituted:-

“ FORM ‘18’

(See Section 2(2) of the Chartered Accountants Act, 1949, Regulation 53B and Regulation 190 of the Chartered Accountants Regulations, 1988)

PARTICULARS OF OFFICES AND FIRMS

1. Name of firm/trade name of Chartered Accountant in practice
2. PAN number and GST Registration number of firm²
3. Name(s) of the proprietor/partners of firm with his/ their membership number(s)

² In case PAN number and GST Registration number of firm is not available at the time of making application, it should be submitted within three months from the time of making application.

Details of Partners Holding Certificate of Practice - (CA/CS/ ICWA)

S.N.	Name of Partner	Professional Qualifications*	Membership No.:	Whether membership is active (Yes/ No)	Date from which Certificate of Practice held:

Details of Partners Holding Professional Qualifications Other than CA/ CS/ ICWA, permitted as per Regulation 53B

S.N.	Name of Partner	Professional Qualifications*	Degree no.	Name of University/ Institution which issued the Degree

4. (a) Date of formation of proprietary/partnership firm
(b) Date on which the present partnership was entered into
(c) Whether the partnership is supported by a Deed?
(d) Whether all the partners are sharing the profits of the firm?
5. Ref. No; Date and particulars of approval of trade/firm name obtained from the Council (applicable to cases where the firm was started on or after 1.1.1983)
6. Address of the Head Office of the firm/Chartered Accountant in practice.
7. (a) Address(es) of the branch office(s) of the firm/Chartered Accountant in practice, if any
(b) Date on which each branch office was opened
8. Name of the member, with membership number who is incharge of each of the offices, i.e., head office and branch offices.

Head Office	Name of the member in-charge	Membership Number

Branch Office(s)	Name(s) of the member(s) in-charge	Membership Number(s)

9. Whether the proprietor/any partner stated in serial number 3 above is/are partner or proprietor or paid assistant with any other firm(s) of chartered accountants in practice anywhere in India and whether any of them are engaged in a full time or a part-time occupation elsewhere ? YES NO
10. If yes, give details in each case

* Professional Qualifications of partners who are non-chartered accountants should be duly attested by an Independent Practicing Chartered Accountant who is not a partner of the said firm/ relative of the said person.

Name of the Partner/proprietor/paid assistant	Name(s) of the firm(s) of chartered accountants with which connected	Capacity in which connected	Particulars of full time or part-time occupation elsewhere if any

11. In case of a firm, whether any partner is also practicing in his individual name? YES NO
12. If yes, give name(s) and membership number(s) of the member(s)
13. Name(s) of the member(s) of the Institute with membership number(s) holding full time employment in the firm/under the chartered accountant in practice and date of joining of each such member.
14. Whether any paid assistant stated at serial number 13 above is partner or proprietor or paid assistant with any other firm(s) or chartered accountant in practice anywhere in India ? YES NO
15. If yes, give details:-

Name of the paid assistant	Name(s) and place(s) of firm(s) in which engaged as partner/ Proprietor/paid Assistant	Capacity in which connected with the firm, i.e. as partner/ Proprietor/paid Assistant

16. Whether any paid assistant stated at serial number 13 above is practicing?
17. If yes, give name(s) and membership number(s) of the paid assistant(s)

Declaration

I/ We hereby confirm that the information given in this Form is true and correct.

Place:

Date:

Signature(s) of the proprietor/all partner(s) of the firm with their membership number(s).]

RAKESH SEHGAL, Acting Secy.

[ADVT.-III/4/Exty./407/2020]

Note : The principal regulations were published in the Gazette of India, Extraordinary, dated the 1st June, 1988 vide number 1-CA(7)/134/88 dated 1st June, 1988 and subsequently amended by the following numbers:-

- Notification No.1-CA(7)/1/89, published in the Gazette of India, dated the 7th October, 1989;
- Notification No.1-CA(7)/10/90, published in the Gazette of India, dated the 19th January, 1991;
- Notification No.1-CA(7)/11/90, published in the Gazette of India, dated the 19th January, 1991;
- Notification No.1-CA(7)/12/91, published in the Gazette of India, dated the 23rd February, 1991;
- Notification No.1-CA(7)/13/90, published in the Gazette of India, dated the 2nd February, 1991;
- Notification No.1-CA(7)/19/92, published in the Gazette of India, dated the 7th March, 1992;

- (vii) Notification No.1-CA(7)/28/95, published in the Gazette of India dated the 1st September, 1995;
- (viii) Notification No.1-CA(7)/30/95, published in the Gazette of India, Extraordinary dated the 13th March, 1996;
- (ix) Notification No. 1-CA(7)/31/97, published in the Gazette of India, dated 16th August, 1997;
- (x) Notification No. 1-CA(7)/44/99, published in the Gazette of India dated the 26th February, 2000;
- (xi) Notification No.1-CA(7)/45/99, published in the Gazette of India, dated the 26th February, 2000;
- (xii) Notification No.1-CA(7)/51/2000, published in the Gazette of India, Extraordinary, dated the 17th August, 2001;
- (xiii) Notification No.1-CA(7)/59/2001, published in the Gazette of India, Extraordinary dated the 28th September, 2001;
- (xiv) Notification No.1-CA(7)/64/2002, published in the Gazette of India, Extraordinary dated the 31st March, 2003;
- (xv) Notification No.1-CA(7)/64A/2003, published in the Gazette of India, Extraordinary dated the 4th December, 2003;
- (xvi) Notification No.1-CA(7)/83/2005, published in the Gazette of India, Extraordinary dated 28th July, 2005;
- (xvii) Notification No.1-CA(7)/84/2005, published in the Gazette of India, dated the 17th June, 2006;
- (xviii) Notification No. 1-CA(7)/92/2006, published in the Gazette of India, dated the 13th September, 2006;
- (xix) Notification No. 1-CA(7)/102/2007(E), published in the Gazette of India, dated the 17th August, 2007;
- (xx) Notification No.1-CA(7)/116/2008, published in the Gazette of India, dated the 25th September, 2008;
- (xxi) Notification No.1-CA(7)/123/2008, published in the Gazette of India, dated the 3rd December, 2008;
- (xxii) Notification No. 1-CA(7)/145/2012, published in the Gazette of India, Extraordinary dated the 1st August, 2012;
- (xxiii) Notification No. 1-CA(7)/154/2014, published in the Gazette of India, Extraordinary dated the 22nd July, 2014;
- (xxiv) Notification No. 1-CA(7)/167/2014, published in the Gazette of India, Extraordinary dated the 23rd January, 2015;
- (xxv) Notification No.1-CA(7)/178/2016, published in the Gazette of India, Extraordinary dated the 25th May, 2017;
- (xxvi) Notification No.1-CA(7)/193/2020, published in the Gazette of India, Extraordinary dated the 19th October, 2020.